[उदय उमेश ललित**,** सी**.** जे**.** आई**.,** एस**.** रवींद्र भाट और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 1940:एस. 95-सहकारी समितियों से संबंधित विवाद-प्रशासनिक भवन के विध्वंस/निर्माण को अंजाम देने के लिए अपीलकर्ता समिति ने विकासकर्ता के साथ एक समझौता किया-प्रतिवादी संख्या 1, अपीलकर्ता समिति के सदस्य ने यू/एस के तहत मामला दायर किया।95(1) जिसमें मध्यस्थ अनुज्ञात एक निर्णय पारित किया कि सोसाइटी विकासकर्ता के साथ मौजूदा प्रशासनिक भवन को ध्वस्त करअनुज्ञात की दिशा में कोई भी कदम उठाअनुज्ञात से खुद को रोके और एक विशेष आम बैठक बुलाई जाए-अपीलकर्ता अनुज्ञात विकासकर्ता के पक्ष में जारी कार्य आदेशों को समाप्त करअनुज्ञात और प्रतिभूति जमा को वापस करअनुज्ञात के लिए ए. जी. एम. में संकल्प लिया-हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 अनुज्ञात इस आधार पर एक और न्यायालय दायर किया कि पूर्व पुरस्कार अनुज्ञात सोसाइटी को एक विशेष आम बैठक आयोजित करअनुज्ञात का निर्देश दिया था न कि वार्षिक आम बैठक-इस बीच विकासकर्ता अनुज्ञात एक न्यायालय भी दायर किया जिसमें अपीलकर्ता सोसाइटी को उस प्रस्ताव को प्रभावी बनाअनुज्ञात से रोकअनुज्ञात की मांग की गई थी जिसमें पक्षों को यथास्थिति बनाए रखअनुज्ञात का निर्देश दिया गया था-गतिरोध के आलोक में, ए. जी. एम. में यह संकल्प लिया गया था कि सोसाइटी का बोर्ड विकासकर्ता के माध्यम से प्रशासनिक भवन का विकास कराए।पोषणीय नहीं-अपीलकर्ता सोसायटी को अभिनिर्धारित करने में उच्च न्यायालय की गलती किसी तीसरे पक्ष के विकासकर्ता के साथ समझौता नहीं कर सकती थी क्योंकि अधिनियम या नियम इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं-उच्च न्यायालय के लिए यह उम्मीद करना बहुत अधिक है कि अपीलकर्ता सोसाइटी के सभी सदस्यों को अपने दम पर योगदान देना चाहिए और नए प्रशासनिक भवन का विकास करना चाहिए-सहकारी समिति को ए

/

/

/

/

1084

1085

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार ए

लोकतांत्रिक रूप से और अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के अनुसार पारित प्रस्तावों सहित समाज के आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए-सोसाइटी के सामान्य निकाय ने डेवलपर की नियुक्ति का संकल्प लिया, उन निर्णय ों को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है, प्रतिवादी संख्या 1 अपीलन्यायालय ्ता सोसाइटी का सदस्य होने के नाते उक्त निर्णय ों से बाध्य है-केवल इसलिए कि अल्पसंख्यक वर्ग में एक भी सदस्य निर्णय को अस्वीकार न्यायालय ता है, जो सामान्य निकाय के निर्णय को अस्वीकार न्यायालय ने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि निर्णय धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व का परिणाम था-इमारत की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुए संपत्ति का पुनर्विकास आवश्यक था-सहकारी समिति अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि अपीलकर्ता सोसायटी किसी तीसरे पक्ष के विकासकर्ता के साथ समझौता नहीं कर सकती थी क्योंकि अधिनियम या नियम इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं।उच्च न्यायालय के लिए यह अपेक्षा करना बहुत अधिक है कि अपीलार्थी सोसायटी के सभी सदस्य अपने दम पर योगदान दें और नए प्रशासनिक भवन के विकास का कार्य शुरू करें।परियोजना की कुल लागत के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इसकी लागत लगभग बीस करोड़ रुपये होगी।प्रतिवादी संख्या **1** के दिमाग में शायद यह है कि अपीलकर्ता सोसायटी के सदस्यों को इस राशि का योगदान करना चाहिए और एक डेवलपर को शामिल करने और पूरी परियोजना को एक व्यावसायिक उद्यम

बनाने के बजाय निर्माण कार्य करना चाहिए।यह असंभव के करीब है।**[**पैरा **46] [1106-**डी-ई**]**

/

/

1.2 संवैधानिक जनादेश की पृष्ठभूमि में**,** प्रश्न यह नहीं है कि क़ानून क्या कहता है**,** बल्कि यह है कि क़ानून को क्या कहना चाहिए।यदि अधिनियम या नियम या उपनियम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें संविधान के संदर्भ में क्या कहना चाहिए**,** तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिनियमों में संवैधानिक भावना और अवधारणा को पढ़े।**"**जहाँ तक अपने अधिनियम में संसद अपना इरादा व्यक्त नहीं करती है।

/

/

स्पष्ट रूप से**,** स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से**,** यह माना जाता है कि प्रवर्तन एजेंसियों को इसके कानूनी अर्थ के विवरण को स्पष्ट करने के लिए कानून लागू करने का कर्तव्य दिया जाता है।यह या तो विधायक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में निहितार्थ ढूंढकर और घोषित करके किया जा सकता है**,** या अभिव्यक्त भाषा की चौड़ाई या अन्य अस्पष्टता के बारे में सार्वजनिक नीति **(**कानूनी नीति सहित**)** और कानून के उद्देश्य के अनुसार इसके अर्थ को विस्तृत करने के लिए एक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति प्रदान करके किया जा सकता है।पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि केवल विधायिका ही विधि बनाती है।**[**पैरा **47** और **48] [1106-**एफ-जी**; 1107-**ए-बी**]**

/

1.3 यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय**,** जो सर्वोच्च है**,** ने प्रशासनिक भवन के पुनर्विकास के लिए एक सचेत निर्णय लिया है।अपीलार्थी सोसायटी के सामान्य निकाय ने भी विकासकर्ता के रूप में हाई**-**राइज़ को नियुक्त करने का संकल्प लिया है। उन निर्णयों को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है**,** इसलिए प्रत्यर्थी संख्या **1** अपीलार्थी सोसायटी का सदस्य होने के नाते उक्त निर्णयों से बाध्य है।अपीलार्थी सोसायटी के आम निकाय ने भारी बहुमत से विकास समझौते के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है।केवल इसलिए कि विकास समझौते के नियम और शर्तें प्रत्यर्थी संख्या **1** को स्वीकार्य नहीं हैं**,** जिसे बहुत कम अल्पसंख्यक कहा जा सकता है**,** अपीलकर्ता सोसायटी के आम निकाय के भारी बहुमत के निर्णय का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है।संपत्ति का पुनर्विकास इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि इमारत समय के साथ जीर्ण**-**शीर्ण स्थिति में है। इस प्रकार पुनर्विकास एक आवश्यकता और आवश्यकता होगी और इसे व्यवसाय नहीं कहा जा

सकता है।ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता सोसायटी को अपनी संपत्ति के पुनर्विकास का कोई निर्णय लेने से पहले उप-नियमों में कोई संशोधन करने या "भवनों के पुनर्विकास" को सोसाइटी के उद्देश्यों में से एक के रूप में शामिल करने की भी आवश्यकता नहीं थी।**[**पैरा **52] [1108-**एच**; 1109-**ए-डी**]**

/

/

/

/

1.4 एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है**,** तो वह समिति के साथ अपना व्यक्तित्व खो देता है और उसे क़ानून और उपनियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।सदस्य को सोसायटी के माध्यम से बोलना पड़ता है या केवल सोसाइटी ही उसके अधिकारों के लिए कार्य कर सकती है और बोल सकती है और ए

/

/

एक निकाय के रूप में समाज के कर्तव्य।यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जब तक अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव लागू हैं और सक्षम अधिकार क्षेत्र के मंच द्वारा पलट नहीं दिए जाते हैं**,** तब तक उक्त निर्णय प्रतिवादी संख्या **1** को बाध्य करेंगे।उसे अकेले खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है**,** लेकिन वह आम निकाय के बहुमत के फैसले से बंधा होता है।विशेष रूप से**,** प्रत्यर्थी संख्या **1** ने संपत्ति के पुनर्विकास के लिए अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों को चुनौती नहीं दी है और इससे भी अधिक**,** उसे सभी पुनर्विकास अधिकार देने के लिए हाई-राइज़ को डेवलपर के रूप में नियुक्त करने के लिए।**[**पैरा **53] [1109-**डी-एच**] 1.5** यह प्रस्तुत किया गया था कि संपत्ति अच्छी स्थिति में है और मौजूदा भवन के पुनर्विकास की कोई आवश्यकता नहीं है।सबसे पहले**,** सोसायटी के सामान्य निकाय के विषय संपत्ति के पुनर्विकास के निर्णय को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है।इसके अलावा**,** सहकारी समिति अधिनियम या नियमों या किसी अन्य कानूनी प्रावधान में कोई प्रावधान ध्यान में नहीं लाया गया है जो सोसायटी के सामान्य निकाय के ऐसा करने का इरादा होने पर संपत्ति के पुनर्विकास के सोसायटी के अधिकार को कम कर देगा। अनिवार्य रूप से**,** यह समाज के सामान्य निकाय का व्यावसायिक ज्ञान है।अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सामान्य निकाय के उक्त विवेक पर बैठने के लिए न्यायालय खुला नहीं है।केवल

इसलिए कि अल्पसंख्यक वर्ग का एक सदस्य निर्णय को अस्वीकार करता है, यह सामान्य निकाय के निर्णय को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि निर्णय धोखाधड़ी या गलत निरूपण का परिणाम था या किसी वैधानिक निषेध का विरोध था।यह इस न्यायालय के समक्ष की गई शिकायत नहीं है।तत्काल मामले में, आम सभा ने अपनी संपत्ति के पुनर्विकास के लिए कई वर्षों तक उचित विचार-विमर्श के बाद एक सचेत निर्णय लिया।यहां तक कि डेवलपर के रूप में "हाई-राइज़" की नियुक्ति के संबंध में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा डेवलपरों से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष गुणों की जांच करने के बाद तय किया गया था।**[**अनुच्छेद **54] [1110-**ए**-**डी**]** **1.6** प्रावधान के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।संपूर्ण विधायी योजना यह दर्शाती है कि सहकारी समिति को लोकतांत्रिक रूप से और समाज के आंतरिक लोकतंत्र के रूप में कार्य करना है, जिसमें इसके अनुसार पारित प्रस्ताव भी शामिल हैं।

/

/

/

/

/

/

/

अधिनियम, नियम और उपनियमों का सम्मान करना होगा और उन्हें लागू करना होगा।सहकारी आंदोलन जीवन का एक सिद्धांत और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों है।यह स्वैच्छिक संगठन का एक रूप है जहां व्यक्ति समानता, तर्क और सामान्य भलाई के सिद्धांतों पर धन के उत्पादन और वितरण में आपसी सहायता के लिए एकजुट होते हैं।यह वितरण न्याय के लिए खड़ा है और धन के उत्पादन में लगे सभी लोगों को उनके योगदान की डिग्री के अनुपात में एक हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए समानता और समानता के सिद्धांत पर जोर देता है।यह भौतिक परिसंपत्तियों, ईमानदारी और नैतिक दायित्व की भावना के विकल्प के रूप में प्रदान करता है और भौतिक मंजूरी के बजाय नैतिक को ध्यान में रखता है।इस प्रकार यह आंदोलन एक महान सहकारी आंदोलन है।**[**पैरा **55] [1110-**ई**-**जी**]**

/

/

1.7 सहयोग के मूल सिद्धांत यह हैं कि सदस्य मनुष्य के रूप में शामिल हों न कि पूंजीपतियों के रूप में।सहकारी समिति संगठन का एक रूप है जिसमें व्यक्ति अपने सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर मनुष्य के रूप में एक साथ जुड़ते हैं।यह आंदोलन नैतिक आधार के साथ व्यवसाय या अन्य गतिविधियों को करने का एक तरीका है।**"**सभी के लिए प्रत्येक और प्रत्येक के लिए सभी "सहकारी आंदोलन का आदर्श वाक्य है। यह आंदोलन न केवल अपने सदस्यों की अव्यक्त व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करता है**,** बल्कि नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण करता है**;** आर्थिक और सामाजिक गुणों**,** ईमानदारी और निष्ठा को प्रोत्साहित करता है**,** अनिवार्य हो जाता है**,** बेहतर जीवन की संभावनाएं खुलती हैं**,** जो ठोस प्रयास से प्राप्त की जा सकती हैं**;** व्यक्ति को एहसास होता है कि अपने लिए केवल भौतिक लाभ से अधिक कुछ और खोजने की आवश्यकता है।इसलिए**,** वास्तव में**,** यह एक व्यापार सह नैतिक आंदोलन होने के नाते**,** और सहकारी समिति की सफलता उस वास्तविकता पर निर्भर करती है जिसके साथ एक सदस्य अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। भारत में सहयोग समिति ने सहयोग के नैतिक पहलू पर जोर दिया।**[**पैरा **56] [1110-**एच**; 1111-**ए**-**सी**]**

/

/

/

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि ी रूप से पोषणीय नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।एक समय पर**,** अपीलकर्ता सोसायटी को अनावश्यक रूप से एक तुच्छ मुकदमे में खींचने और अपीलकर्ता सोसाइटी को ए के लिए परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिवादी संख्या **1** पर एक अनुकरणीय लागत लागू करके इस अपील की अनुमति देने का झुकाव है।

/

/

पिछले लगभग दो दशक।हालाँकि**,** यह न्यायालय इस उम्मीद में लागत का ऐसा आदेश पारित करने से बचता है कि प्रतिवादी संख्या **1** को एहसास हो कि प्रशासनिक भवन का विकास समाज की बेहतरी के लिए होगा।पुनर्विकास से किसी भी व्यक्तिगत सदस्य को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है।यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में समाज है जो कुछ हासिल करेगा।**[**पैरा **57] [1112-**सी**-**ई**]**

/

1.9 अब यह अपीलकर्ता सोसायटी के लिए खुला रहेगा कि वह समय**-**समय पर आम निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़े।**[**पैरा **58] [1112-**एफ**]**

/

विपुलभाई एम**.** चौधरी बनाम गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड **(2015) 8** एससीसी **1:[2015] (3)** एससीआर **997;** दमन सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1985) 2**

एससीसी **670:**ए**.** आई**.** आर **1985** एस**.** सी **973:[1985] (3)** एससीआर **580;**

स्टेट ऑफ यू. पी. बनाम छेओकी एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव सोसाइटी

/

लिमिटेड (1997) 3 एससीसी 681:AIR 1997 SC 1413:[1997] (1)

एस**.** सी**.** आर**. 380;** रतन चंद हीरा चंद बनाम अस्कर नवाज

एलआरएस द्वारा जंग (मृत)। (1991) 3 एससीसी 67:[1991] (1) एस. सी. आर. 327-संदर्भित।

सीफोर्ड न्यायालय एस्टेट्स बनाम एशर **(1949) 2 KB 481:(1949)**

/

2 सभी ई**.** आर**. 155 (**सी**.** ए**.)-**संदर्भित।

फ्रांसिस बेनिओन द्वारा वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन,

6 टी एडन। **136-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[2015] (3) एससीआर **997**

संदर्भित

पैरा **36**

[1985] (3) एससीआर **580**

संदर्भित

पैरा **45,53**

[1997] (1) एससीआर **380**

संदर्भित

पैरा **45,53**

[1991] (1) एससीआर **327**

संदर्भित

पैरा **51**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7261।

2014 के सी. ओ. No.2714 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.08.2018 निर्णय और आदेश से।

/

1090

/

[2022] 13 एस सी आर।

जॉयदीप मजूमदार, धीमान के. सेनगुप्ता, विकास कुमार, सुश्री शालिनी कौल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सौमो पालित, अभिज्ञा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.**

/

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 1940 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1940') के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी समिति के निर्देश पर है और कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है (सिविल पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष) 2014 के सी. ओ. संख्या 2714 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलीय समिति द्वारा दायर सिविल संशोधन को खारिज कर दिया, जिससे सिविल

न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), अलीपुर, जिला दक्षिण 24 परगना के 9 वें न्यायालय द्वारा 2009 के मध्यस्थता निष्पादन मामले संख्या 19 में पारित आदेश की पुष्टि की गई।

/

/

फैक्ट मैट्रिक्स

3. अपील समिति को वर्ष 1945 में अधिनियम 1940 (अब पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 2006 द्वारा शासित है, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, [संक्षेप में, अधिनियम 2006]) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।अपील समिति का गठन पश्चिम बंगाल सचिवालय के कर्मचारियों और अन्य लोगों को समाज के उपनियमों के अनुसार आवास प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।पंजीकरण के समय अपीलीय सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय बंगाल सचिवालय का था जो राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता (पी. ओ. कलकत्ता जी. पी. ओ., थाना-हारे स्ट्रीट, कलकत्ता) था।वर्तमान में, अपीलकर्ता सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय नंबर 1, गरियाहाट रोड, जोधपुर पार्क, पी. एस. लेक, कोल्टाका-700068 में स्थित है।

/

/

4. अपीलीय सोसायटी ने बंगाल के आधिकारिक न्यासी, केटी ग्राहम विलियम की संपत्ति के निष्पादक से लगभग 80.90 एकड़ की एक पार्सल भूमि के साथ दो इमारतों को खरीदा।दोनों में से एक इमारत का उपयोग अपील समिति के प्रशासनिक भवन के रूप में किया जाता है और दूसरी इमारत का उपयोग बालिका विद्यालय के लिए किया जाता है।अपील समिति बहुउद्देशीय गतिविधियों के साथ पंजीकृत थी।प्रशासनिक भवन अब तक लगभग 100 साल पुराना है और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।ए के साथ कोलकाता नगर निगम द्वारा दिनांकित 15.07.2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

/

/

1091

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

इमारत की तस्वीरें इंगित करती हैं कि यह किसी भी समय गिर सकती है जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है।

5. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि 1960 में किसी समय, प्रशासनिक भवन के पूरे भूतल भाग को वर्तमान पिन कोड 700068 के साथ जोधपुर पार्क डाकघर नामक एक डाकघर चलाने के लिए भारतीय डाक विभाग को दिया गया था।तब से, डाकघर अपील समिति के सदस्यों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों के लाभ के लिए काम कर रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासनिक भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और तत्काल मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता है, अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा वर्ष 2001 में किसी समय यह महसूस किया गया था कि पुरानी संरचना को ध्वस्त करना और उसके स्थान पर एक नए भवन का निर्माण करना अधिक समीचीन होगा जो निवास के लिए सुरक्षित होगा और उपलब्ध स्थान/भूमि क्षेत्र के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति देगा।

/

/

6. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता सोसायटी ने विकासकर्ता के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से प्रशासनिक भवन के विकास के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित एक विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कीं।

/

7. निविदा प्रक्रिया के अनुसार, हाई-राइज अपार्टमेंट मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, 'द हाई-राइज') को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।पूरे मामले को वार्षिक आम बैठक में अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय के समक्ष रखा गया था जो 28.04.2002 पर आयोजित किया गया था।अंततः बैठक को 05.05.2002 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 05.05.2002 पर बुलाई गई अपीलकर्ता सोसायटी की वार्षिक आम बैठक में यह संकल्प लिया गया कि अपीलकर्ता सोसायटी वरिष्ठ अधिकारी से बकाया/प्रतिभूति राशि स्वीकार करेगी और पुराने प्रशासनिक भवन को ध्वस्त करने और नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के उद्देश्य से उसके साथ एक समझौता करेगी।

/

/

8. 22.06.2002 पर, अपीलकर्ता सोसायटी ने वार्षिक आम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य आदेश जारी किया।उक्त कार्य आदेश में, यह कहा गया था कि अपीलकर्ता सोसायटी पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारत को ध्वस्त करने और एक नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए हाई-राइज़ के साथ एक समझौता करेगी।अपील सोसाइटी और हाई-राइज़ के बीच यह सहमति हुई कि नई संरचना आंशिक रूप से आवासीय और आंशिक रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होगी।

/

9. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 जिसका नाम आलोक कुमार है, अपीलकर्ता सोसायटी के सदस्यों में से एक के रूप में अपनी क्षमता में

/

1092

/

[2022] 13 एस सी आर।

अपील समिति के मार्ग में विभिन्न बाधाएं पैदा करना शुरू कर दिया और किसी न किसी तरह अपील समिति को परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता सोसायटी के बोर्ड ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस आधार पर सोसाइटी की प्राथमिक सदस्यता से हटाने का निर्णय लिया कि वह अपीलकर्ता सोसाइटी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य कर रहा था।बोर्ड द्वारा दिनांक 22.10.2002 पर पारित प्रस्ताव के अनुसार, अपीलकर्ता सोसायटी ने सहकारी समितियों के पंजीयक से प्रत्यर्थी संख्या 1 को सोसायटी की प्राथमिक सदस्यता से हटाने के लिए मंजूरी मांगी।

/

10. ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि सहकारी समितियों के पंजीयक ने पश्चिम बंगाल सहकारी समितियों के नियम, 1987 (संक्षेप में, 'नियम 1987') के नियम 137 (2) के अनुसार छह सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 की सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए अपीलकर्ता समिति के बोर्ड ने 04.12.2002 से प्रतिवादी संख्या 1 की सदस्यता समाप्त कर दी।अपीलीय समिति के बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नियम 1987 के नियम 137 (3) के अंतर्गत सहकारी समितियों के पंजीयक के समक्ष अपील दायर की।

/

/

11. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से आगे पता चलता है कि अपील सोसाइटी के बोर्ड द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को अपील सोसाइटी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने के निर्णय को बाद में रद्द कर दिया गया था।12. आई. डी. 1 पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता सोसायटी के खिलाफ सहकारी समितियों के पंजीयक, पश्चिम बंगाल के समक्ष एक विवाद मामला दायर किया, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रार्थना की गईः

/

“क) यह घोषणा करते हुए कि मेसर्स हाई-राइज अपार्टमेंट मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उपरोक्त सोसायटी के स्थगित वार्षिक आम निकाय में बोलियों को आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन, बोलियों के दस्तावेजों को जारी करने, कार्यवाही और संकल्प से लेकर बोर्ड की सभी कार्रवाइयां। उनसे 10 लाख और उसके बाद, अवैध और अमान्य थे। "

/

/

13. पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 1983 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1983') की धारा 95 (1) के अंतर्गत दायर विवाद मामला संख्या 47/आर. सी. एस. के रूप में कार्यवाही दर्ज की गई।

/

1093

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

/

14. मध्यस्थ ने 21.12.2004 के विवाद मामले संख्या 47/आर. सी. एस. में पारित किए गए पुरस्कार के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार निर्देशित कियाः

“1) कि सोसाइटी एक निजी प्रमोटर/डेवलपर, मेसर्स हाई राइज अपार्टमेंट मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में सोसाइटी के प्रशासनिक भवन के मौजूदा निर्माण को ध्वस्त करने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से खुद को रोकेगी।

/

2) सभी सदस्यों द्वारा प्राप्तियों को सुनिश्चित करने के लिए एक महीने के स्पष्ट नोटिस के साथ विशेष आम बैठक बुलाई जाए-हर स्तर पर पारदर्शिता के साथ इस मुद्दे पर हर विस्तार से चर्चा की जाए और इस तरह के आरओसी के प्रस्ताव के पक्ष में लिया गया कोई भी प्रस्ताव सहकारी समितियों के पंजीयक, पश्चिम बंगाल को उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाए, जो W.B.C.S नियम, 1987 के नियम 149 (11) के अंतर्गत आवश्यक है। "

/

15. अपीलकर्ता सोसायटी ने दिनांक 21.12.2004 के पुरस्कार के उचित अनुपालन में, उच्च-वृद्धि के पक्ष में जारी किए गए दिनांकित 22.06.2002 के कार्य आदेशों को समाप्त करने और प्रतिभूति जमा राशि को वापस करने के लिए दिनांकित 15.01.2006 में लिए गए प्रस्ताव के माध्यम से समाधान किया।

/

16. दिनांकित 21.12.2004 के प्रस्ताव और उच्च अधिकारी के साथ संविदात्मक दायित्वों की परिणामी समाप्ति से संतुष्ट नहीं, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2006 का डी. सी. संख्या 15 के रूप में एक और विवाद मामला दायर किया, जिसमें दिनांकित 15.01.2006 के उक्त प्रस्ताव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि दिनांकित 21.12.2004 के पुरस्कार ने अपीलकर्ता सोसायटी को "विशेष आम बैठक" आयोजित करने का निर्देश दिया था, न कि "वार्षिक आम बैठक"।

/

/

17. पीड़ित होने के कारण, हाई-राइज़ ने 2006 का विवाद मामला संख्या 11 दायर किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता सोसायटी को दिनांकित 15.01.2006 प्रस्ताव को प्रभावी बनाने से रोकने की मांग की गई।उक्त विवाद को 2006 के सी. ओ. संख्या 2203 के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेजा गया।इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए मध्यस्थ को भेज दिया

/

यथास्थिति बनाए रखें।

18. हाई-राइज़ द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी के कारण पैदा हुए गतिरोध के आलोक में, अन्य बातों के साथ-साथ, 27.05.2007 पर आयोजित ए. जी. एम. में यह हल किया गया कि अपीलकर्ता सोसायटी के बोर्ड को हाई-राइज़ के साथ विवाद को हल करने के लिए कहा जाए और इसे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने के लिए सशक्त किया जाए।

/

संशोधित नियमों और शर्तों के आधार पर बी. ओ. टी. (बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर) भागीदार के रूप में हाई-राइज के माध्यम से विकसित भवन।

19. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता सोसायटी की वार्षिक आम बैठक में पारित प्रस्ताव को आज तक चुनौती नहीं दी गई है।

/

20. संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों (आवास) ने <ID2 पर 27.05.2007 पर ए. जी. एम. में पारित प्रस्ताव के अनुसार कार्यालय-सह-प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए अपीलकर्ता सोसायटी को अनुमति दी।

21. 30.10.2009 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सिविल न्यायाधीश, अलीपुर न्यायालय के समक्ष 2009 का मध्यस्थता निष्पादन मामला संख्या 19 स्थापित किया, जिसमें 2002-03 के डीसी संख्या 47/RCS में पारित दिनांकित 21.12.2004 के पुरस्कार के निष्पादन की मांग की गई थी।17.04.2014 पर, सिविल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ घोषणा की कि निष्पादन मामला बनाए रखने योग्य था।

/

22. पीड़ित होने के कारण, अपीलकर्ता सोसायटी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 का सी. ओ. संख्या 2714 के रूप में एक नागरिक संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसमें आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

/

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी सोसायटी इस न्यायालय के समक्ष है।

एपेल्लांट सोसायटी के स्वयं के बारे में सुझाव

/

24. अपीलीय सोसायटी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जॉयदीप मजूमदार ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक सहकारी समिति का अंतिम अधिकार सदस्यों का सामान्य निकाय या उसके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।इस संबंध में, विद्वान वकील ने अधिनियम 2006 की धारा 28 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।विद्वान वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय "सहकारी आंदोलन" के प्रमुख सिद्धांतों में से एक की सराहना करने में विफल रहा कि सहकारी समितियां स्वायत्त संगठन हैं और सहकारी समिति के एक सदस्य को केवल अपनी सनक और सनक के कारण पूरे समाज को फिरौती में रखने की अनुज्ञात नहीं दी जानी चाहिए।

/

/

25. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि वार्षिक आम बैठक और विशेष आम बैठक के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है, सिवाय ए में नामकरण के।

/

सभी व्यावहारिक भावनाएँ।इस संबंध में, हमारा ध्यान पश्चिम बंगाल सहकारी समिति नियम, 2011 (संक्षेप में, 'नियम 2011') के नियम 21 की ओर आकर्षित किया गया था।

26. विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अधिनियम और/या नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक सोसायटी को डेवलपर्स से संपर्क करने में स्थिति का व्यावहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण लेने से रोकेगा जो सोसाइटी के सदस्यों के व्यापक हित के लाभ में कार्य करेंगे।यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में गलती की कि 15.01.2006 दिनांकित प्रस्ताव पारदर्शी नहीं था।यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों (आवास) द्वारा दिनांक 16.06.2011 द्वारा पारित आदेश को खारिज करने वाला दृष्टिकोण नहीं ले सकता था, जिसमें अपीलकर्ता सोसायटी को दिनांक 27.05.2007 के प्रस्ताव के अनुसार प्रशासनिक भवन को ध्वस्त करने/निर्माण करने की अनुमति दी गई थी।विद्वान वकील ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, कि न तो 27.05.2007 दिनांकित प्रस्ताव और न ही संयुक्त पंजीयक द्वारा दिनांकित 16.06.2011 द्वारा दी गई अनुमति को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यहाँ चुनौती दी गई है।

/

/

/

27. अंतिम में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 एकतरफा रूप से पिछले दो दशकों से "सहकारी आंदोलन" की भावना के विपरीत प्रशासनिक भवन को विकसित करने के लिए अपीलकर्ता सोसायटी के प्रयासों को रोक रहा है।विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 "खुरली में कुत्ता" का एक सच्चा उदाहरण रहा है।

/

28. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ईमानदारी से प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और अपीलार्थी सोसायटी को योजनाओं और नियमों और विनियमों के अनुसार प्रशासनिक भवन के विकास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।

/

स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ नं**. 1.**

/

29. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सौमो पालित ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि, विधि की किसी भी त्रुटि की बात नहीं की जा सकती है।

/

1096

/

[2022] 13 एस सी आर।

भारत का संविधान।ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उसे खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

30. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है?

/

31. दोनों पक्षों की ओर से प्रचार की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को स्वीकार करने से पहले, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में अपनाए गए तर्क की रेखा पर गौर करना चाहिए जो निम्नानुसार हैः

/

“25. यह देखा गया है कि अधिनियम या आर. यू. 1 ई. एस. में कहीं भी, वाणिज्यिक हित वाले तीसरे पक्ष के विकासकर्ताओं को निर्माण कार्य सौंपने पर विचार नहीं किया गया है।

26. याचिकाकर्ताओं के सहकारी भावना की कीमत पर त्वरित लाभ अर्जित करने के व्यावसायिक प्रयास में सहकारी आंदोलन की पूरी भावना, सदस्यों की अपनी भलाई के लिए भागीदारी की भावना छूट गई।

/

27. याचिकाकर्ताओं के तर्क, कि मध्यस्थता पुरस्कार का पहला घटक दूसरे की पूर्ति पर अकादमिक हो जाता है, भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पहला घटक दूसरे से स्वतंत्र, एक निरंतर प्रतिबंध है।याचिकाकर्ताओं ने, किसी भी स्थिति में, मेसर्स हाई-राइज़ के साथ पिछले समझौते को रद्द करने और सतही रूप से बदले गए प्रारूप में उसी समझौते को नवीनीकृत करने का नाटक करके पुरस्कार के दोनों घटकों का उल्लंघन किया है।याचिकाकर्ताओं द्वारा सहकारी समितियों के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की गई परियोजना से पहले के संयुक्त उद्यम की निरंतरता भी परिलक्षित हुई है, जिसका उद्देश्य अनुमोदन प्राप्त करना है।

/

/

28. याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता सं. द्वारा आयोजित वार्षिक आम बैठक की वार्षिक रिपोर्ट पर भी भरोसा करते हैं। 1-सोसायटी 27 मई, 2007 को इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने के लिए कि सोसाइटी ने भावना में पुरस्कार का पालन किया था।

/

29. हालाँकि, इस तथ्य के अलावा कि पुरस्कार में वार्षिक आम बैठक नहीं बल्कि एक विशेष आम बैठक पर विचार किया गया था, रिपोर्ट स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाई गई धारणा को गलत साबित करती है।रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बोर्ड ऑफ ए

/

निदेशकों ने मध्यस्थता पुरस्कार के पहले घटक में शामिल विशिष्ट प्रतिबंध आदेश के बावजूद, मेसर्स हाई-राइज़ के साथ पिछले समझौते को नवीनीकृत करने के अलावा किसी अन्य विकल्प पर भी विचार नहीं किया।इस परियोजना में प्रवेश किया गया, जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट से ही पता चलता है, केवल पिछले संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों में संशोधन पर विचार किया गया था, और इस तरह की परियोजना का एकमात्र उद्देश्य केवल रु। 20 मिलियन (परियोजना के पूरी तरह से वाणिज्यिक होने के कारण बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण)।इस प्रकार, यद्यपि वाणिज्य को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मध्यस्थता निर्णय की अवधि के साथ-साथ सहकारी आंदोलन की भावना, जैसा कि पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 2006 में विचार किया गया था, को याचिकाकर्ताओं के ऐसे कृत्यों द्वारा चुनौती दी गई थी।इस तरह की वार्षिक आम बैठक में लिया गया प्रस्ताव याचिकाकर्ताओं की ओर से पुरस्कार का पालन करने के लिए इच्छा की अनुपस्थिति और एक नई बोतल में पुरानी शराब के साथ एक नए रूप के समझौते के रूप में आगे बढ़ने का जानबूझकर प्रयास था।

/

/

/

30. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश जहां तक कारणों का संबंध है, थोड़ा दयनीय पक्ष में था, लेकिन उक्त आदेश में आया निष्कर्ष, कि निष्पादन मामला अभी भी मध्यस्थता पुरस्कार के असंतोष को देखते हुए बनाए रखने योग्य है, वैध था।

/

31. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप के दायरे पर विरोधी पक्ष द्वारा उद्धृत निर्णयों के बारे में, इस न्यायालय की राय है कि उसमें निर्धारित सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं।चूँकि आक्षेपित आदेश में कोई पेटेंट क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं पाई गई है, किसी भी स्थिति में, उक्त निर्णयों को विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। "

/

32. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो महत्वपूर्ण है वह है:

(1) न तो अधिनियम और न ही नियम सोसायटी को किसी तीसरे पक्ष को अपने भवन को विकसित करने के लिए कहने की अनुमति देते हैं, विशेष रूप से जब पार्टी का उसी में वाणिज्यिक हित हो, और

/

(2) सदस्यों को अपने दम पर वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करनी चाहिए थी और यह सहकारी भावना के अनुसार होनी चाहिए थी।

/

उपरोक्त दोनों मामलों में उच्च न्यायालय सही नहीं है।हम इसके बाद कारण बताएँगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं।

33. अब हम अधिनियम और नियमों के कुछ प्रावधानों पर गौर करेंगे।अधिनियम 2006 की धारा 28 इस प्रकार है:

" धारा 28.सहकारी समिति का अंतिम अधिकार।—विषय

/

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी सहकारी समिति का अंतिम और अंतिम अधिकार उसके सदस्यों या उसके प्रतिनिधियों या प्रतिनिधियों के सामान्य निकाय में निहित होगा जो इस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत चुने गए हैं और एक आम बैठक में इकट्ठे हुए हैंःबशर्ते कि जहां किसी सहकारी समिति के उपनियम सहकारी समिति के सामान्य निकाय की किसी भी बैठक में स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं, वहां ऐसे स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधित्व स्वयं सहायता समूह की बैठक में चुने गए सदस्यों में से एक के माध्यम से किया जाएगा। "

/

34. नियम 2011 का नियम 21 निम्नानुसार हैः-

/

"21. विशेष आम बैठक।—

(1) वार्षिक आम बैठक से संबंधित नियम धारा 31 के अंतर्गत बुलाई गई विशेष आम बैठक पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।

(2) विशेष आम बैठक में, संबंधित सूचना में निर्दिष्ट कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य पर विचार नहीं किया जाएगा। "

/

35. अब हम 15.01.2006 दिनांकित संकल्प के प्रासंगिक उद्धरण पर गौर करेंगे जो निम्नानुसार हैः-

"लेकिन इसने संकल्प लिया कि सोसायटी और मेसर्स हाई-राइज अपार्टमेंट मार्कर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा और उनके बीच निष्पादित अनुबंध, जिसमें सोसाइटी द्वारा जारी कार्य आदेश भी शामिल है, को निरस्त और रद्द माना जाएगा।निदेशक मंडल को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त अनुबंध के संदर्भ में आवश्यक दंड और बकाया की कटौती करने के बाद उक्त कंपनी को प्रतिभूति जमा राशि वापस करे।

/

/

सदन ने आगे संकल्प लिया कि प्रशासनिक भवन के संबंध में सामान्य निकाय के साथ-साथ निदेशक मंडल के सभी पहले के प्रस्तावों को निरस्त करते हुए, निदेशक मंडल आगे के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है जैसे कि होर्डिंग आदि का निर्माण।

/

1099

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

सोसायटी के सदस्यों के सर्वोत्तम हित के लिए उक्त परिसर का विकास/उपयोग, सिवाय किराए पर देने के, किरायेदारी अधिनियम के अंतर्गत दीर्घकालिक प्रकृति के। "

सहयोग के सात प्रमुख सिद्धांत

36. विपुलभाई एम. चौधरी बनाम गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, (2015) 8 एस. सी. सी. 1 के मामले में,

/

इस न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया थाः

“क्या किसी सहकारी समिति के अधिनियम, नियमों या यहां तक कि उपनियमों में अविश्वास द्वारा हटाने पर एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, अध्यक्ष/निर्वाचित पदाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, यह छोटा लेकिन जटिल प्रश्न है। "

/

37. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने भारत में सहकारी आंदोलन के इतिहास का व्यापक रूप से पता लगाया।सहकारी पहचान पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वक्तव्य को मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में 23.09.1995 पर अपनाया गया था।'सहकारी' को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

/

“सहकारी एक संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। "

/

38. वक्तव्य में आगे दिशानिर्देशों के रूप में 'सात सहकारी सिद्धांतों' का प्रावधान किया गया है जिनके द्वारा सहकारी समितियाँ अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं।निम्नलिखित सिद्धांत हैंः

“1 सेंट सिद्धांतः

/

स्वैच्छिक और खुली सदस्यता।— सहकारी समितियाँ हैं

स्वैच्छिक संगठन, लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम और सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं।

/

2 दूसरा सिद्धांतः

लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण।— सहकारी समितियाँ हैं

अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन, जो अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में सेवारत पुरुष और महिलाएँ

/

वे सदस्यता के प्रति जवाबदेह हैं।प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों को समान मतदान अधिकार (एक सदस्य, एक वोट) होते हैं और अन्य स्तरों पर सहकारी समितियों को भी लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाता है।

3 आरडी सिद्धांतः

/

सदस्य आर्थिक भागीदारी।— सदस्यों का योगदान

समान रूप से, और लोकतांत्रिक रूप से, उनके सहकारी की राजधानी को नियंत्रित करें।उस पूंजी का कम से कम एक हिस्सा आमतौर पर सहकारी की सामान्य संपत्ति होती है।सदस्यों को आमतौर पर सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदान की गई पूंजी पर सीमित मुआवजा, यदि कोई हो, प्राप्त होता है।सदस्य निम्नलिखित में से किसी भी या सभी उद्देश्यों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं:अपने सहकारी का विकास, संभवतः भंडार की स्थापना करके, जिसका कम से कम एक हिस्सा अविभाज्य होगा; सहकारी के साथ उनके लेनदेन के अनुपात में सदस्यों को लाभान्वित करना; और सदस्यता द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों का समर्थन करना।

/

/

4 सिद्धांतः

स्वायत्तता और स्वतंत्रता।—सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त, स्व-सहायता संगठन हैं।यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ समझौते करते हैं, या बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे ऐसी शर्तों पर ऐसा करते हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और उनकी सहकारी स्वायत्तता बनाए रखते हैं।

/

5 सिद्धांतः

शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना।— सहकारी समितियाँ

/

अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में प्रभावी रूप से योगदान कर सकें।वे आम जनता-विशेष रूप से युवा लोगों और राय देने वाले नेताओं-को सहयोग की प्रकृति और लाभों के बारे में सूचित करते हैं।

/

6 सिद्धांतः

सहकारी समितियों के बीच सहयोग।— सहकारी समितियाँ सेवा करती हैं

उनके सदस्य सबसे प्रभावी ढंग से स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से मिलकर काम करके सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हैं।

/

1101

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

/

7 सिद्धांतः

समुदाय के लिए चिंता।— सहकारी समितियाँ काम करती हैं

उनके सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से उनके समुदायों का पोषणीय विकास। "

[जोर दिया गया]39. भारत में सहकारी आंदोलन 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ। हालाँकि ये आंदोलन ऊपर बताए गए कुछ मूल्यों और सिद्धांतों पर भी आधारित थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सहकारी समितियों के पास प्रभावी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन नहीं था।मार्च, 2002 में कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति पूरी तरह से ऊपर बताई गई परिभाषा, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है।वास्तव में, भारत के संविधान के 97 वें संशोधन ने इस नीति को एक संवैधानिक ढांचा दिया।

/

/

/

40. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार प्रदान करने और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 बी को शामिल करने के अलावा, संशोधन ने सहकारी समितियों पर एक नया भाग IXB भी पेश किया।संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के संदर्भ से लोकतांत्रिक आधार को मजबूत करने और सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।इस प्रकार, भारत के संविधान में 97 वें संशोधन के बाद सहकारी समितियों की अवधारणा पर संवैधानिक आकांक्षाओं को देखना होगा जो 12.01.2012 पर लागू हुआः-

/

/

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. पिछले कुछ वर्षों में सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारी वृद्धि हासिल की है।हालाँकि, इसने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और उन उद्देश्यों को पूरा करने में कमजोरियों को दिखाया है जिनके लिए इन संस्थानों को संगठित किया गया था।ऐसे उदाहरण हैं जहां चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और नामित पदाधिकारी या प्रशासक लंबे समय तक इन संस्थानों के प्रभारी रहे हैं।इससे सहकारी समितियों के प्रबंधन की अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेही कम हो जाती है।

/

/

कई सहकारी संस्थानों में प्रबंधन में अपर्याप्त व्यावसायिकता के कारण खराब सेवाएं और कम उत्पादकता हुई है।सहकारी समितियों को स्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और समय पर और निशुल्क और निष्पक्ष तरीके से आयोजित होने वाले चुनावों पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए, इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए मौलिक सुधार शुरू करने की आवश्यकता है

ताकि देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके और बड़े पैमाने पर सदस्यों और जनता के हितों की सेवा की जा सके और उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा सके।

/

2. "सहकारी समितियाँ" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में सूचीबद्ध एक विषय है और राज्य विधानमंडलों ने तदनुसार सहकारी समितियों पर कानून बनाए हैं।राज्य अधिनियमों के ढांचे के भीतर, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने और विकास के फलों के समान वितरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास की परिकल्पना की गई थी।हालाँकि, यह अनुभव किया गया है कि सहकारी समितियों के काफी विस्तार के बावजूद, गुणात्मक रूप से उनका प्रदर्शन वांछित स्तर तक नहीं रहा है।राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अवसरों पर और राज्य सहकारी मंत्रियों के सम्मेलनों में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है। संविधान में संशोधन की सख्त आवश्यकता महसूस की गई है ताकि सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेपों से निशुल्क रखा जा सके और उनके स्वायत्त संगठनात्मक ढांचे और उनके लोकतांत्रिक कामकाज को भी सुनिश्चित किया जा सके।

/

/

/

/

3. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से काम करें।आवश्यक सुधारों को लाने के लिए, संविधान में एक नया भाग शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यावसायिक कामकाज जैसे सहकारी समाजों के काम करने के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने वाले कुछ प्रावधानों का प्रावधान किया जा सके।संविधान के भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) में एक नया अनुच्छेद भी शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि राज्यों को संविधान के विकास के लिए प्रयास करने में मदद मिल सके।

/

/

स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों का व्यावसायिक प्रबंधन।संविधान में प्रस्तावित नया भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानमंडलों को निम्नलिखित मामलों को निर्धारित करते हुए उचित विधि बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है, अर्थात्:-

/

(क) लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के प्रावधान;

/

(ख) एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या को 21 सदस्यों से अधिक नहीं होना निर्दिष्ट करना; (ग) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के संबंध में चुनाव की तारीख से पांच साल की निश्चित अवधि का प्रावधान करना;

/

(घ) अधिकतम छह महीने की समय सीमा का प्रावधान करना जिसके दौरान सहकारी समिति के निदेशक मंडल को अधिक्रमण या निलंबन के अंतर्गत रखा जा सकता है।

(ङ) स्वतंत्र व्यावसायिक लेखापरीक्षा प्रदान करना;

(च) सहकारी समितियों के सदस्यों को सूचना का अधिकार प्रदान करना;

/

(छ) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों की गतिविधियों और खातों की आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना; (ज) प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना, जिसमें ऐसी श्रेणियों के व्यक्ति सदस्य हैं; (i) सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के संबंध में दंड का प्रावधान करना।

/

/

4. यह उम्मीद की जाती है कि ये प्रावधान न केवल सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे और विधि के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निवारक का प्रावधान करेंगे।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। "

/

1104

/

[2022] 13 एस सी आर।

41. 12.01.2013 द्वारा, सहकारी समितियों पर सभी कानूनों को भारत के संविधान के 97 वें संशोधन के अनुरूप पुनर्गठित किया जाना बाध्य था और किसी भी मामले में, अधिनियम या नियमों या उप-कानूनों में कोई भी प्रावधान अन्यथा संविधान के साथ असंगत उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा।अनुच्छेद 43 बी और 243 जेडटी सभी राज्यों और सक्षम प्राधिकरणों के लिए भारत के संविधान में परिकल्पित सहकारी समितियों की संरचना करने के लिए अधिदेश हैं, यदि पहले से नहीं हैं।

/

42. भारत में सहकारी आंदोलन पर पहला कानून सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 था और उसके बाद, सहकारी समितियां भारत में राज्य प्रायोजित/पदोन्नत संस्थानों के रूप में उभरीं।इसका मुख्य उद्देश्य केवल ऋण देना था जिसका उद्देश्य गरीब किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करना था।1904 के अधिनियम के अंतर्गत पहली शहरी सहकारी ऋण समिति तत्कालीन मद्रास प्रांत के कांजीवरम में पंजीकृत की गई थी।लोकतंत्र के लक्षण "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत के माध्यम से पहले ही कानून में मौजूद थे।चूँकि पहला कानून ऋण समितियों तक ही सीमित था, इसलिए 8 साल बाद "सहकारी समिति अधिनियम, 1912" के रूप में एक नया कानून पेश किया गया।क्रेडिट सोसाइटियों तक सीमित पंजीकरण के संबंध में प्रतिबंध हटा दिया गया था और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किसी भी सोसाइटी या ऐसी सोसाइटी के संचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित सोसाइटी को पंजीकृत किया जा सकता था।

/

/

/

43. 1919 के भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार) अंतर्गत सहयोग एक प्रांतीय विषय बन गया जिसने आंदोलन को और गति दी।इसने कई सहकारी भूमि बंधक बैंकों को जन्म दिया।अपनी तरह का पहला मामला पंजाब में दर्ज किया गया था।स्वतंत्रता के करीब और उसके बाद, हम सहकारी आंदोलन में एक आमूलचूल परिवर्तन और वृद्धि देखते हैं।मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में गतिविधियों का प्रसार किया गया और इस प्रकार 2002 में सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई।

/

44. 97 वें संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद, सहकारी समितियों की पूरी अवधारणा में एक बड़ा बदलाव आया है।1993 में, स्थानीय स्वशासन, अर्थात।, 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान के भाग IX और IXA के अंतर्गत पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था।उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि संविधान चाहता था कि स्थानीय निकाय स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करें।दो दशकों के बाद, सह-ए

/

/

1105

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

सक्रिय समितियों को भाग IXB के अंतर्गत शामिल करके संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उक्त संशोधन का मुख्य उद्देश्य "उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन" सुनिश्चित करना भी था।

45. मार्च 2002 में घोषित सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति ने लोकतंत्र, समानता, समानता और एकजुटता को सहकारी समितियों के मूल्यों के रूप में मान्यता दी है।सहकारी समिति को एक लोकतांत्रिक संस्था घोषित किया गया है।लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पूरे समय सहकारी सिद्धांतों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि उन सिद्धांतों की संवैधानिक पुष्टि केवल 2012 में हुई थी।[संदर्भःपैरा 39 से पैरा 45

/

यहाँ-विपुलभाई एम. चौधरी (ऊपर)]

/

45 ए 1.इससे पहले कि हम मामले के अंतिम विश्लेषण के साथ आगे बढ़ें, हमें कुछ महत्वपूर्ण स्पष्ट करने की आवश्यकता है।इस फैसले को

विपुलभाई एम. चौधरी (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय को भेजा गया है।

हमारे द्वारा बहुत सीमित उद्देश्य के लिए।विपुलभाई एम. चौधरी (ऊपर) ने उपरोक्त पैरा 36 में निर्दिष्ट मुख्य प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से 97 वें संविधान संशोधन का उल्लेख किया है।यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 97 वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 166 में चुनौती दी गई

थी।उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, जिसमें हममें से एक (जे. बी. पारदीवाला, जे.) पक्षकार थे, ने संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 घोषित किया, जिसमें अनुच्छेद 243 जेडएच से लेकर 243 जेडटी तक वाले भाग IXB को संविधान के अनुच्छेद 368 (2) का सहारा नहीं लेने के लिए भारत के संविधान के अधिकार से बाहर बताया गया है, जो अधिकांश राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन का प्रावधान करता है।उच्च न्यायालय ने संशोधन को अमान्य घोषित करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अन्य भाग प्रभावित नहीं होंगे।

/

/

/

45 बी 2.ऊपर निर्दिष्ट गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय भारत संघ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 2014 की सिविल अपील संख्या 9108-9109 के रूप में अपील में किया गया था, जिसने बहुमत से गुजरात उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को इस हद तक बरकरार रखा कि उसने संविधान के पूरे भाग IXB को रद्द कर दिया।हालांकि, बहुमत ने घोषणा की कि भारत के संविधान का भाग IXB केवल उस हद तक प्रभावी होगा जब तक कि यह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है।

/

1 2022 के एम. ए. सं. 1798 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 के संदर्भ में जोड़ा गया अनुच्छेद। 2 2022 के एम. ए. सं. 1798 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 के संदर्भ में जोड़ा गया अनुच्छेद।

/

45 सी 3.इस प्रकार, संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 स्थानीय सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, जबकि यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर की समितियों पर लागू होगा।हमें केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हमारा निर्णय विपुलभाई एम. चौधरी (ऊपर दिए गए) के निर्णय पर आधारित नहीं है जो अब इनक्यूरियम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।हमने विपुलभाई एम. चौधरी (ऊपर) का उल्लेख केवल भारत में 'सहकारी आंदोलन' के इतिहास और सहकारी सिद्धांतों को उजागर करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया था।हमारे निर्णय ने अनिवार्य रूप से दमन सिंह बनाम पंजाब राज्य

के मामलों में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए विधि के सिद्धांतों की व्याख्या पर ध्यान दिया है, जो (1985) 2 एस. सी. सी. 670 में रिपोर्ट किया गया है:एयर

/

1985 एससी 973, और यू. पी. बनाम चेओकी कर्मचारी सहकारी राज्य

/

सोसाइटी लिमिटेड**, (1997) 3** एस**.** सी**.** सी**. 681** में सूचित किया गया:ए**.** आई**.** आर**. 1997** एस**.** सी**. 1413,** जवाब।

अंतिम विश्लेषण

46. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि अपीलकर्ता सोसायटी किसी तीसरे पक्ष के विकासकर्ता के साथ समझौता नहीं कर सकती थी क्योंकि अधिनियम या नियम इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं।उच्च न्यायालय के लिए यह उम्मीद करना बहुत अधिक है कि अपीलकर्ता सोसायटी के सभी सदस्यों को अपने दम पर योगदान देना चाहिए और नए प्रशासनिक भवन के विकास का कार्य करना चाहिए।हमने परियोजना की कुल लागत के संबंध में संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील से पूछताछ की।हमें बताया गया कि इसकी लागत लगभग बीस करोड़ रुपये होगी।प्रतिवादी संख्या 1 के दिमाग में शायद यह है कि अपीलकर्ता सोसायटी के सदस्यों को इस राशि का योगदान करना चाहिए और एक डेवलपर को शामिल करने और पूरी परियोजना को एक व्यावसायिक उद्यम बनाने के बजाय निर्माण कार्य करना चाहिए।यह असंभव के करीब है।

/

/

/

47. संवैधानिक जनादेश की पृष्ठभूमि में, प्रश्न यह नहीं है कि क़ानून क्या कहता है, बल्कि यह है कि क़ानून को क्या कहना चाहिए।यदि अधिनियम या नियम या उपनियम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें संविधान के संदर्भ में क्या कहना चाहिए, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिनियमों में संवैधानिक भावना और अवधारणा को पढ़े।“जहाँ तक इसके अधिनियम में है

संसद अपने इरादे को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से व्यक्त नहीं करती है, यह माना जाता है कि प्रवर्तन एजेंसियों को इसके कानूनी अर्थ के विवरण को स्पष्ट करने के लिए कानून लागू करने का कर्तव्य दिया जाता है।यह या तो किया जा सकता है-(ए) विधायक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में निहितार्थ ढूंढकर और घोषित करके, या (बी) द्वारा

/

3 2022 के एम. ए. सं. 1798 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 के संदर्भ में जोड़ा गया अनुच्छेद।

/

1107

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

/

अभिव्यक्त भाषा की व्यापकता या अन्य अस्पष्टता के संबंध में सार्वजनिक नीति (कानूनी नीति सहित) और कानून के उद्देश्य के अनुसार इसके अर्थ को विस्तृत करने के लिए एक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति प्रदान करने के रूप में।[देखिएःवैधानिक पर बेनिओन

फ्रांसिस बेनिओन द्वारा व्याख्या, 6 वीं संस्करण। 136]

48. पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि केवल विधायिका ही विधि बनाती है।लेकिन जैसा कि बेनिओन कहते हैंः-

/

“सच्चाई यह है कि अदालतों के पास अपरिहार्य रूप से कुछ हद तक विधायी शक्ति होती है। अधिनियमित कानून पहले से ही नियम निर्धारित करते हैं।संसद के आदेश जानबूझकर संभावित आदेश हैं।अधिनियमित विधान की अवधारणा एक आधिकारिक दुभाषिया को अभिनिर्धारित करती है जो पूर्व पोस्ट फैक्टो संचालित करता है।ऐसा कोई भी दुभाषिया उस कार्य को करने के दौरान कानून बनाने से बच नहीं सकता है।यह अभिव्यक्त भाषा की चौड़ाई या अन्य अस्पष्टता के संबंध में किया जा सकता है जो सार्वजनिक नीति (कानूनी नीति सहित) के अनुसार इसके अर्थ को विस्तृत करने के लिए एक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति प्रदान करता है।

/

/

[देखिएःफ्रांसिस बेनिओन द्वारा वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन,

6 टी एडन। 137]

49. डोनाल्डसन जे. के अनुसारः

“अदालतों का कर्तव्य संसद की इच्छा का पता लगाना और उसे प्रभावी बनाना है जैसा कि उसके अधिनियमों में व्यक्त किया गया है।इस कर्तव्य के पालन में न्यायाधीश कंप्यूटर के रूप में कार्य नहीं करते हैं जिसमें मूर्तियों और मूर्तियों के निर्माण के नियमों को खिलाया जाता है और जिनसे गणितीय रूप से सही उत्तर जारी किया जाता है।क़ानूनों की व्याख्या उतनी ही एक कला है जितनी एक विज्ञान और न्यायाधीश, कारीगरों के रूप में, अपने व्यापार के उपकरणों के रूप में उपयुक्त नियमों का चयन करते हैं और उन पर लागू होते हैं।वे विधायक नहीं हैं, बल्कि कानून

के फिनिशर, रिफाइनर और पॉलिशर हैं जो एक ऐसे राज्य में उनके पास आते हैं जिसके लिए आगे की प्रक्रिया की अलग-अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। "

/

/

[देखिएःकोरोक्राफ्ट लिमिटेड बनामपैन अमेरिकन एयरवेज इंक., (1969) 1 क्यूबी

/

616,पी. 638:(1968) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 714 पी.732 :(1968) 2 सभी ई. आर. 1059]

50. सीफोर्ड न्यायालय एस्टेट्स बनाम एशर के प्रसिद्ध मामले में

(1949) 2 के. बी. 481 में सूचित किया गयाः(1949) 2 सभी ई. आर. 155 (सी. ए.), लॉर्ड डेनिंग ने न्यायालय की भूमिका पर सिद्धांत को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया है।उद्धृत करने के लिएः- (क्यू. बी. पीपी. 498-99)

/

1108 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

“... जब भी कोई क़ानून विचार के लिए आता है तो यह याद रखना चाहिए कि तथ्यों के कई समूहों का पूर्वानुमान लगाना मानव शक्तियों के दायरे में नहीं है जो उत्पन्न हो सकते हैं, और, भले ही ऐसा हो, सभी अस्पष्टता से निशुल्क शब्दों में उनके लिए प्रावधान करना संभव नहीं है। एक न्यायाधीश केवल हाथ जोड़कर ड्राफ्ट्समैन को दोष नहीं दे सकता है।उसे संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसे ऐसा न केवल प्रतिमा की भाषा से करना चाहिए, बल्कि उन सामाजिक स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया और जिस शरारत को सुधारने के लिए इसे पारित किया गया था, और फिर उसे लिखित शब्द का पूरक होना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को "बल और जीवन" दिया जा सके।..... घरेलू रूपक में यह हैःएक न्यायाधीश को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का पता चलता, तो वे इसे कैसे ठीक करते?फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा।एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह दरारों को दूर कर सकता है और उसे करना चाहिए। "

/

/

/

51. रतन चंद हीरा चंद बनाम अस्कर नवाज जंग (मृत)

(1991) 3 एस**.** सी**.** सी**. 67** में रिपोर्ट किए गए एल**.** आर**.** एस**.** द्वारा**,** इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ **17** में निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांतों पर भी विचार किया है**:-**

“17. ..... विधायिका अक्सर बदलती जरूरतों और मूल्यों के साथ तालमेल रखने में विफल रहती है और न ही यह उम्मीद करना यथार्थवादी है कि उसने सभी आकस्मिकताओं और संभावनाओं के लिए प्रावधान किया होगा।इसलिए, यह न केवल आवश्यक है, बल्कि अदालतों के लिए अनिवार्य है कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाएं।जब अदालतें इस कार्य को करती हैं तो निस्संदेह वे न्यायिक रूप से कानून बनाते हैं।लेकिन यह एक प्रकार का कानून है जो कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और समाज के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए निहित रूप से उन्हें सौंपा गया है।या इसे नकारात्मक रूप से रखने के लिए, कानून की हताशा या समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की विकृति को रोकने के लिए।जब तक अदालतें खुद को समाज के लोकाचार के साथ बांधकर रखती हैं और अपने मार्ग से भटकती नहीं हैं, जब तक कि वे समय की महसूस की गई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं और उन्हें नवीनीकृत नहीं करती हैं, इस संबंध में उनकी भूमिका का स्वागत किया जाना चाहिए। "

/

/

/

52. यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय, जो सर्वोच्च है, ने ए के पुनर्विकास के लिए एक सचेत निर्णय लिया है।

/

प्रशासनिक भवन।अपीलीय सोसायटी के सामान्य निकाय ने भी विकासकर्ता के रूप में हाई-राइज़ को नियुक्त करने का संकल्प लिया है।उन निर्णयों को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलकर्ता सोसायटी का सदस्य होने के नाते उक्त निर्णयों से बाध्य है।अपीलकर्ता सोसायटी के आम निकाय ने भारी बहुमत से विकास समझौते के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है।केवल इसलिए कि विकास समझौते के नियम और शर्तें प्रत्यर्थी संख्या 1 को स्वीकार्य नहीं हैं, जिसे बहुत कम अल्पसंख्यक कहा जा सकता है, अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय के भारी बहुमत के निर्णय का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है।

संपत्ति का पुनर्विकास इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि इमारत समय के साथ जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।इस प्रकार, हमारे विचार में, पुनर्विकास एक आवश्यकता और आवश्यकता होगी और इसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है।ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता सोसायटी को अपनी संपत्ति के पुनर्विकास का कोई निर्णय लेने से पहले उपनियमों में कोई संशोधन करने या "भवनों के पुनर्विकास" को सोसाइटी के उद्देश्यों में से एक के रूप में शामिल करने की भी आवश्यकता नहीं थी।

/

/

/

53. अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है, तो वह समिति के साथ अपना व्यक्तित्व खो देता है और उसे क़ानून और उपनियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।सदस्य को समाज के माध्यम से बोलना पड़ता है या केवल समाज ही एक निकाय के रूप में समाज के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उसके लिए कार्य कर सकता है और बोल सकता है (देखें - दमन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1985) 2 एस. सी. सी. 670 में रिपोर्ट किया गयाःए. आई. आर 1985 एस. सी. 973)।इस न्यायालय के बाद के निर्णय में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है

/

यू. पी. राज्य बनाम छेओकी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड का मामला,

(1997) 3 एस. सी. सी. 681 में सूचित किया गयाःए. आई. आर 1997 एस. सी 1413। इस निर्णय में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि सोसाइटी के सदस्य को सोसाइटी के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और यह सोसाइटी है जो कॉर्पोरेट समुच्चय के रूप में प्रतिनिधित्व करने का हकदार है।इस न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा स्रोत से अधिक ऊपर नहीं उठ सकती है।यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जब तक अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव लागू हैं और सक्षम अधिकार क्षेत्र के मंच द्वारा पलट नहीं किए जाते हैं, तब तक उक्त निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 को बाध्य करेंगे।उसे अकेले खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन वह आम सभा के बहुमत के फैसले से बंधा होता है।विशेष रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संपत्ति के पुनर्विकास के लिए अपीलकर्ता सोसायटी के सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों को चुनौती नहीं दी है और इससे भी अधिक, उसे सभी पुनर्विकास अधिकार देने के लिए हाई-राइज़ को डेवलपर के रूप में नियुक्त करने के लिए।

/

/

/

1110

/

[2022] 13 एस सी आर।

54. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि संपत्ति अच्छी स्थिति में है और मौजूदा भवन के पुनर्विकास की कोई आवश्यकता नहीं है।सबसे पहले, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सोसायटी के सामान्य निकाय के विषय संपत्ति के पुनर्विकास के निर्णय को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है।इसके अलावा, सहकारी समिति अधिनियम या नियमों या किसी अन्य कानूनी प्रावधान में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जो सोसायटी के सामान्य निकाय के ऐसा करने का इरादा होने पर संपत्ति के पुनर्विकास के सोसायटी के अधिकार को कम कर दे।अनिवार्य रूप से, यह समाज के सामान्य निकाय का व्यावसायिक ज्ञान है।अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सामान्य निकाय के उक्त विवेक पर बैठने के लिए न्यायालय खुला नहीं है।केवल इसलिए कि अल्पसंख्यक वर्ग का एक सदस्य निर्णय को अस्वीकार करता है, यह सामान्य निकाय के निर्णय को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि निर्णय धोखाधड़ी या गलत निरूपण का परिणाम था या किसी वैधानिक निषेध का विरोध था।यह हमारे सामने की गई शिकायत नहीं है। वर्तमान मामले में, आम सभा ने अपनी संपत्ति के पुनर्विकास के लिए कई वर्षों तक उचित विचार-विमर्श के बाद एक सचेत निर्णय लिया।यहां तक कि डेवलपर के रूप में "हाई-राइज़" की नियुक्ति के संबंध में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा डेवलपरों से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष गुणों की जांच करने के बाद तय किया गया था।

/

/

/

55. प्रावधान के उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा।संपूर्ण विधायी योजना यह दर्शाती है कि सहकारी समिति को लोकतांत्रिक रूप से कार्य करना है और अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के अनुसार पारित प्रस्तावों सहित समाज के आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान और कार्यान्वयन करना है।सहकारी आंदोलन जीवन का एक सिद्धांत और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों है।यह स्वैच्छिक संगठन का एक रूप है जहां व्यक्ति समानता, तर्क और सामान्य भलाई के सिद्धांतों पर धन के उत्पादन और वितरण में आपसी सहायता के लिए एकजुट होते हैं।यह वितरण न्याय के लिए खड़ा है और धन के उत्पादन में लगे सभी लोगों को उनके योगदान की डिग्री के अनुपात में एक हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए समानता और समानता के सिद्धांत पर जोर देता है।यह भौतिक परिसंपत्तियों, ईमानदारी और नैतिक दायित्व की भावना के विकल्प के

रूप में प्रदान करता है और भौतिक मंजूरी के बजाय नैतिक को ध्यान में रखता है।इस प्रकार यह आंदोलन एक महान सहकारी आंदोलन है।

/

/

/

56. सहयोग के मूल सिद्धांत यह हैं कि सदस्य मनुष्य के रूप में शामिल हों न कि पूंजीपतियों के रूप में।सहकारी समिति एक ए है

/

1111

द बंगाल सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड हाउसिंग एसओसी। लिमिटेड. वी.श्री अलोक कुमार [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

संगठन का एक रूप जिसमें व्यक्ति अपने सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर मनुष्य के रूप में एक साथ जुड़ते हैं।यह आंदोलन नैतिक आधार के साथ व्यवसाय या अन्य गतिविधियों को करने का एक तरीका है।“सभी के लिए प्रत्येक और प्रत्येक के लिए सभी "सहकारी आंदोलन का आदर्श वाक्य है।यह आंदोलन न केवल अपने सदस्यों की अव्यक्त व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करता है, बल्कि नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण करता है; आर्थिक और सामाजिक गुणों, ईमानदारी और निष्ठा को प्रोत्साहित करता है, अनिवार्य हो जाता है, बेहतर जीवन की संभावनाएं खुलती हैं, जो ठोस प्रयास से प्राप्त की जा सकती हैं; व्यक्ति को एहसास होता है कि अपने लिए केवल भौतिक लाभ से अधिक कुछ और खोजने की आवश्यकता है।इसलिए, वास्तव में, यह एक व्यापार सह नैतिक आंदोलन होने के नाते, और सहकारी समिति की सफलता उस वास्तविकता पर निर्भर करती है जिसके साथ एक सदस्य अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है।भारत में सहयोग समिति ने इन शब्दों को उद्धृत करते हुए सहयोग के नैतिक पहलू पर जोर दियाः-

/

/

“सहयोग का सिद्धांत बहुत संक्षेप में यह है कि एक अलग-थलग और शक्तिहीन व्यक्ति, दूसरों के साथ मिलकर और नैतिक विकास के समर्थन से, अमीर या शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए उपलब्ध भौतिक लाभों को अपने स्तर पर प्राप्त कर सकता है और इस तरह अपनी प्राकृतिक क्षमताओं की पूरी सीमा तक खुद को विकसित कर सकता है।शक्तियों के संघ द्वारा भौतिक उन्नति सुनिश्चित की जाती है और संयुक्त कार्य द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है और इन प्रभावों की परस्पर क्रिया से जीवन के उच्च और अधिक समृद्ध मानक की प्रभावी प्राप्ति की

उम्मीद की जाती है जिसे बेहतर व्यापार, बेहतर हथियार और बेहतर जीवन के रूप में चिह्नित किया गया है; हमने पाया है कि न केवल बाहरी जनता के बीच बल्कि आंदोलन के समर्थकों के बीच भी इसके नैतिक पहलू को कम करने की प्रवृत्ति है और इसे अनावश्यक आदर्शवाद के रूप में माना जाता है।वास्तविक व्यवहार में सहयोग अक्सर लक्ष्यित मानक से कम होना चाहिए और सहकारी आदर्शों के साथ असंगत विवरणों को अक्सर इस उम्मीद में स्वीकार किया जाना चाहिए कि वे बेहतर चीजों की ओर ले जा सकते हैं।हम स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहते हैं कि यह केवल सच्चा सहयोग है, यानी एक ऐसे सहयोग के लिए जो इस प्रश्न की नैतिक स्वीकृति को मान्यता देता है कि सरकार को जनता के सुधार की तलाश करनी चाहिए, न कि एक सुडो सहकारी इमारत के लिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो सहकारी सिद्धांतों की अज्ञानता में निर्मित है।यह आंदोलन अनिवार्य रूप से एक नैतिक है और यह समाजवादी के बजाय व्यक्तिवादी है।यह भौतिक परिसंपत्तियों के विकल्प के रूप में ईमानदारी और नैतिक भावना प्रदान करता है।

/

/

/

/

/

दायित्व और भौतिक मंजूरी के बजाय नैतिकता को ध्यान में रखता है।कुलकर्णी द्वारा भारत और विदेश में सहयोग के सिद्धांत और अभ्यास के पृष्ठ 5 और 6, खंड 1।सहयोग व्यवसाय करने का एक तरीका है, जिसे वर्तमान में कई आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में लागू किया जाता है।लगभग सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए सहयोग का उपयोग किया जाता है। हालाँकि इस देश में ग्रामीण ऋण के लिए एक उपाय के रूप में सहयोग की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे उत्पादन, वितरण, बैंकिंग, आपूर्ति, विपणन, आवास और बीमा जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।कुलकर्णी द्वारा भारत और विदेश में सहयोग का सिद्धांत और अभ्यास खंड 1 पृष्ठ 2 देखें। "

/

/

57. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि ी रूप से पोषणीय नहीं है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए। एक समय पर, हम अपीलकर्ता सोसायटी को अनावश्यक रूप से एक तुच्छ मुकदमे में खींचने

और पिछले लगभग दो दशकों से अपीलकर्ता सोसाइटी को परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 पर एक अनुकरणीय लागत लागू करके इस अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक थे।हालाँकि, हम इस उम्मीद में लागत का ऐसा आदेश पारित करने से बचते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 को एहसास हो कि प्रशासनिक भवन का विकास समाज की बेहतरी के लिए होगा।पुनर्विकास से किसी भी व्यक्तिगत सदस्य को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है।यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में समाज है जो कुछ हासिल करेगा।

/

/

58. पूर्वगामी कारणों से, यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा इसकी अनुज्ञात जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और अब अपीलकर्ता सोसायटी के लिए समय-समय पर सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने का अधिकार होगा।यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि पूरी इमारत को ध्वस्त करने को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वह जर्जर स्थिति में है।

/

59. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

60. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

/